न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

मु.नं. 84 / 2020 2020 / 00129

पार्वतीबाई पत्नि ओमप्रकाश जाति धाकड निवासी ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास जिला कोटा।

—वादनी—

बनाम

1. नरेश कुमार पुत्र प्रभूलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

— प्रतिवादी—

वाद अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट

उपस्थित —

वादी की ओर से एडवोकेट रेवतीरमण नागर।
प्रतिवादी नबंर 01 की ओर से एडवोकेट नरेन्द्र सिंह।
प्रतिवादी नबंर 02 राजस्थान सरकार की ओर से— तहसीलदार कनवास।

निर्णय

दिनांक— 15.12.2020

प्रार्थी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट का वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी नबंर 01 के खातेदारी माल ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास में खसरा नबंर 1263, 1264, 1279, 1280, 1463, 1664, 2466, 2467 की आराजी दर्ज रिकार्ड है, जो प्रतिवादी नबंर 01 नरेश कुमार के एकल खातेदारी में दर्ज है।

यह कि उक्त आराजी पूर्व में प्रतिवादी नबंर 01 नरेशकुमार व उसके पिताजी प्रभूलाल जी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी, उसी समय प्रतिवादी नबंर 01 नरेश कुमार व उसके पिताजी प्रभूलाल के द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान में से खसरा नबंर 1279 रकबा 0.10 है0, खसरा नबंर 1280 रकबा 0.28 है0, किता 02 की 0.38 है0 आराजी को वादनी को दिनांक 18.09.2008 में विक्रय कर दिया था तथा विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि 70,000/- अक्षरे सत्तर हजार रूपये क्रेता द्वारा विक्रेतागण को चुकता करके [illegible] आराजी पर कब्जा भी पंजियन को दिनांक से पूर्व ही सौ[illegible] ही सम्भला दिया था जब से आज तक उपरोक्त विक्रय शुदा आराजी खसरा नबंर 1279, 1280 वादनी के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.18 13:36:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

यह कि उपरोक्त विक्रयशुद्दा आराजी व प्रतिवादी के खातेदारी की अन्य आराजी अर्थात पूरे खाते पर ही कृषि ऋृण होने के कारण वादनी के द्वारा क्रयशुद्दा खसरा नम्बरान पर इंतकाल नहीं खुल पाया था, उक्त सम्पूर्ण खाते पर लम्बे समय तक ऋृण चलता रहा इस कारण आज तक भी वादनी के पक्ष में क्रय शुद्दा खसरा नबंर का इंतकाल नहीं खुल सका था इसी बीच प्रतिवादी नबंर 01 प्रभूलालजी की मृत्यु हो जाने के कारण उपरोक्त सम्पूर्ण खाते पर विरासत के अनुसार केवल मात्र प्रतिवादी नबंर 01 का ही नाम रह गया है।

यह कि वादनी के द्वारा प्रतिवादी नबंर 01 से निवेदन करने पर प्रतिवादी के द्वारा 2008 में वादनी को बेचे गये खसरा नबंर 1279, 1280 को छोडकर शेष खाते पर ऋृण प्राप्त लिया है, उक्त क्रय शुद्दा खसरा नबंर को अपने खाते दर्ज करवाने हेतु वादनी के द्वारा तहसील कार्यालय में प्रार्थना–पत्र पेश करने पर तहसीलदार साहब के द्वारा प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र को यह कहकर खारिज कर दिया कि विक्रय विल्लेख व जमाबंदी रिकार्ड में भिन्नता होने के कारण इतकांल नहीं खुल सकता जबकि प्रतिवादी नबंर 01 नरेश कुमार को कोई आपत्ति नहीं है इस हेतु प्रतिवादी नबंर 01 के द्वारा अपना शपथ–पत्र भी दे दिया है और विक्रय विलेख के अनुसार इंतकाल खोले जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है ऐसी स्थिति में वादनी के लिये माननीय न्यायालय में वाद पेश करके क्रय शुद्दा आराजी को अपने खाते बन्धाने हेतु माननीय न्यायालय से विक्रय विलेख के अनुसार खातेदारी घोषणा करवाना व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करवाना आवश्यक हो गया है, इस हेतु वादनी के द्वारा माननीय न्यायालय से अपने को खातेदारी घोषणा करवाना व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करवाना आवश्यक हो गया है, इसलिये यह वाद की विषय वस्तु है।

वादी द्वारा पुनः अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादनी का का वाद स्वीकार कर माल ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास के खसरा नबंर 1279 रकबा 0.10 है0, खसरा नबंर 1280 रकबा 0.28 है0, किता 02 की रकबा 0.38 है0, आराजी का वादनी को विक्रय विलेख के अनुसार खातेदार घोषित किये जाने तथा उक्त खसरा नबंर पर से प्रतिवादी नबंर 01 नरेश कुमार का नाम हटाये जाने हेतु इन्द्राज दुरूस्ती व खातेदारी घोषणा की डिक्री सादर पारित की जावे।

वादनी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी नबंर 01 की ओर से दिनांक 15.12.2020 को एडवोकेट श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी नबंर 01 नरेश कुमार स्वयं उपस्थित। नरेश कुमार द्वारा जर्ये एडवोकेट इकबालिया जवाब पेश किया। इकबालिया जवाब में प्रतिवादी नबंर 01 ने माल ग्राम सावनभादौ की खसरा नबंर 1280 की रकबा 0.28 है0, एवं खसरा नं. 1279 की रकबा 0.10 है0, कुल किता 02 की रकबा 0.38 है0, आराजी पंजीकृत बेचाननामा के आधार पर वादनीकेनाम दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।पत्रावली में जवाब सरकार आदेशिका दिनांक 08.12.2020 की पुश्त पर दिया गया। जवाब प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.18 13:36:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

नबंर 01 शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पर वादिनी द्वारा प्रस्तुत जवाब का खण्डन या विरोध नहीं किया गया। अः पत्रावली पर तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर सीधे बहस सुनी गई, बहस वादी सुनी गई। वकील वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रतिवादी नबंर 01 के खातेदारी माल ग्राम सावनभादौ पटवार हल्का सावनभादौ तहसील कनवास के खसरा नबंर 1263, 1264, 1279, 1280, 1463, 1664, 2466, 2467, की आराजी दर्ज रिकार्ड है। पूर्व में उक्त खसरा नबंर की भूमि प्रतिवादी नबंर 01 नरेश कुमार व उनके पिता के साथ संयुक्त खातेदारी में थी। नरेश कुमार व उनके पिता प्रभूलाल द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बरान में से खसरा नबंर 1279 की रकबा0.10 है0, एवं खसरा नबंर 1280 की रकबा 0.28 है0, कुल किता 02 की रकबा 0.38 है0, आराजी को वादनी को दिनांक 18.09.2008 में विक्रय कर दिया था तथा विक्रय प्रतिफल की राशि 70,000/— अक्षरे सत्तर हजार रूपये प्रतिवादी को अदा कर पंजीयन अपने पक्ष में करवा लिया था। उक्त खाते की सम्पूर्ण आराजी पर कृषि ऋृण होने के कारण वादनी का क्रय शुद्वा आराजी का इन्तकाल नहीं खुल पाया था। इसी बीच प्रभूलाल की मृत्यु होने के कारण सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादी नबंर 01 के नाम दर्ज है। प्रतिवादी नबंर 01 द्वारा खसरा नबंर 1279 की 0.10 है0, व खसरा नबंर 1280 की 0.28 है0, कुल किता 02 की रकबा को छोडकर 2008 में ऋृण प्राप्त कर लिया है। जमाबंदी व विक्रय विलेख में भिन्नता होने के कारण इन्तकाल नहीं खुल सका। प्रतिवादी नबंर 01 को विक्रय विलेख के आधार पर इन्तकाल खोले जाने में कोई आपत्ति नहीं है, इस हेतु पत्रावली पर प्रतिवादी का शपथ पत्र संलग्न है।इसी प्रकार पत्रावलीपर प्रस्तुत दस्तावेज, जवाब सरकार व प्रतिवादी नबंर 01 का इकबालिया जवाब एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। जिससे हम वादनी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः वादनी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सावनभादौ पटवार हल्का सावनभादौ तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान की खसरा नबंर 1279 की रकबा 0.10 है0, व खसरा नबंर 1280 की रकबा 0.28 है0, कुल किता 02 की रकबा 0.38 है0, का खातेदार वादनी को घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरा नबंर 1279 की 0.10 है0, व 1280 की 0.28 है0 पर से प्रतिवादी नबंर 01 नरेश कुमार का नाम हटाये जाने के आदेश [illegible] किये जाते हैं। निर्णय अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती व खातेदा[illegible] की प्रारित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2020 को [illegible]लय में सुनाया गया।

राजेश डागा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.18 13:36:21 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय बइजलास श्री राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

बउनवान

पार्वतीबाई पत्नि ओमप्रकाश जाति धाकड निवासी ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास जिला कोटा।

–वादनी–

बनाम

1. नरेश कुमार पुत्र प्रभूलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. 84/2020 सन 2020 तारीख फैसला 15.12.2020 न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास बहाजरी वादनी एडवोकेट रेवतीरमण नागर मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी 01 श्री नरेन्द्र सिंह एडवोकेट व प्रतिवादी नबंर 02 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि कि ग्राम सावनभादौ पटवार हल्का सावनभादौ तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान की खसरा नबंर 1279 की रकबा 0.10 है0, व खसरा नबंर 1280 की रकबा 0.28 है0, कुल किता 02 की रकबा 0.38 है0, का खातेदार वादनी को घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरा नबंर 1279 की 0.10 है0, व 1280 की 0.28 है0 पर से प्रतिवादी नबंर 01 नरेश कुमार का नाम हटाये जाने के आदेश भी पारित किये जाते हैं। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.12.2020 माह दिसम्बर को जारी की गई।

मोहर .....

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.18 13:36:21 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुकमनामा		
बावत इजराय हुकमनामा	NIL		मुतफर्रिक	NIL	
मुतफर्रिक			भीजान		
भीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.18 13:36:21 IST
Reason: SelfAttested